मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद कमांक 1-2

राज्य शासन द्वारा तीन आश्रम शालाओं-कन्या आश्रम शाला ग्राम कुदारी, बालक आश्रम शाला कुंदीकला विकास खण्ड लुन्ड्रा एवं कन्या आश्रम शाला ग्राम दुर्गापुर वि.ख. शंकरगढ़ जिला सरगुजा में खोलने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु रूपये 200 का प्रतीक आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत किया गया था, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3-4

सर्वशिक्षा अभियान के राज्यांश हेतु रूपये 1240.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 12,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 5-6

राज्य शासन व्दारा ग्राम उरबा वि.ख. तमनार जिला रायगढ़ में संचालित 25 सीटर प्री-मेट्रीक आदिवासी बालक छात्रावास को ग्राम सरायपाली वि.ख. तमनार जिला रायगढ़ में स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस हेतु रूपये 300 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 7-8

राज्य शासन द्वारा 28 शास. हाईस्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन का निर्णय लिया गया है । इस पर लगभग रूपये 156.44 लाख का व्यय भार सभावित है । यह व्यय विभागीय बचत राशि से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

मद कमांक 9-14

सिविल अस्पताल वाड्रफनगर जिला-सरगुजा का 100 विस्तर अस्पताल में उन्नयन हेतु 180.40 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,80,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 15

भारत शासन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्मित 10 बिस्तर युक्त नेत्र वार्ड एवं आपरेशन कक्ष, स्टाफ कक्ष के लये रूपये 5.00 लाख उपलब्ध कराया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 16-17

भारत सरकार द्वारा 8 एलोपैथिक जिला चिकित्सालयों में आयुर्वेद विंग, 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्पेशलिटी आयुर्वेद क्लीनिक सेन्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 9,10,967 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 18-20

फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण आदि के लिये रूपये 300 का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद कमांक 21

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु स्वीकृति दी गई है । इस हेतु बजट में प्रावधान कम होने से अतिरिक्त राशि रूपये 699.78 लाख की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 6,99,78,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 22

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत माडा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु स्वीकृति दी गई है । इस हेतु बजट में प्रावधान कम होने से अतिरिक्त राशि रूपये 122.42 लाख की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,22,42,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद कमांक 23

राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रदेश में सघन फलोद्यान विकास योजना अन्तर्गत लंबित मजदूरी भुगतान हेतु राशि रूपये 80.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2403

मद कमांक 24

राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रदेश में असील नस्ल की मुर्गियों के संरक्षण हेतु राशि रूपये 15.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2406

मद कमांक 25

केन्द्र शासन की सहायता से वनक्षेत्रों में स्थित ग्रामों का विकास किया जाना है । जिस हेतु रूपये 56.00 करोड़ की कार्ययोजना है । इस वर्ष इस योजना पर रूपये 2802.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 28,02,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4225

मद कमांक 26

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनु. 275(1) के अंतर्गत आदीवासी क्षेत्रों में लघु सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु रूपये 729.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं, इस हेतु बजट में प्रावधान नहीं है,।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 7,29,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 27

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत माडा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु स्वीकृति दी गई है । इस हेतु बजट में प्रावधान कम होने से अतिरिक्त राशि रूपये 58.18 लाख की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 58,18,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 28

राज्य शासन व्दारा लिये गये निर्णय के अनुसार नई दिल्ली में ट्रव्हल यूथ होस्टल निर्माण करने का निर्णय लिया गया है जिस पर रूपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।
यह व्यय विभागीय बचत किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 29

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनु. 275(1) के अंतर्गत आदीवासी क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार (हास्टल/आश्रम शाला भवन निर्माण) हेतु रूपये 2297.90 लाख स्वीकृत किये गये हैं,इस हेतु बजट में प्रावधान नहीं है,।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 22,97,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4700

मद कमांक 30 से 32

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व्दारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष में संशोधन व परिवर्तन किया गया है । अत: सही लेखांकन की दृष्टि से जल संसाधन के बचत में उक्त शीर्षो को खोला जाना आवश्यक है । उक्त शीर्षो में बजट प्रावधान विभागीय बचत से की जाएगी । अत: नवीन शीर्षो हेतु प्रतीक प्रावधान किया जा रहा है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4701

मद कमांक 33 से 40

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व्दारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष में संशोधन व परिवर्तन किया गया है । अत: सही लेखांकन की दृष्टि से जल संसाधन के बचत में उक्त शीर्षो को खोला जाना आवश्यक है । उक्त शीर्षो में बजट प्रावधान विभागीय बचत से की जाएगी । अत: नवीन शीर्षो हेतु प्रतीक प्रावधान किया जा रहा है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4702

मद कमांक 41

राज्य शासन व्दारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में राज्य में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हेतु निम्नलिखित लघु सिंचाई योजनाओं को अपरीक्षित नवीन मद के रूप में व्दितीय अनुपूरक में शामिल कर निर्माण किया जाना है ।

1. मुरधोवा डायवर्सन योजना (अनु.लागत रूपये 80.00 लाख) इस वर्ष रूपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है ।
2. बीहिडीह डायसर्वन योजना (अनु.लागत रूपये 80.00 लाख) इस वर्ष रूपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है ।
3. साल्क इरीगेशन योजना (अनु.लागत रूपये 80.00 लाख) इस वर्ष रूपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है ।
4. कोडांगी डायवर्सन योजना (अनु.लागत रूपये 80.00 लाख) इस वर्ष रूपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है ।

उक्त व्यय विभागीय बचत किया जाएगा ।

अत: इस प्रयोजन के लिए रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।